

न्याय निर्णय अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट दौसा

प्रकरण संख्या : 20/2019 FSSA

1. सरकार जरिये श्री महेन्द्र कुमार चतुर्वेदी खाद्य सुरक्षा अधिकारी कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी दौसा, जिला दौसा ।

— आवेदक—

बनाम

1. श्री जगदीश प्रसाद गुप्ता पुत्र श्री चौथमल गुप्ता विक्रेता एवं मालिक मैसर्स:—नाथूलाल चौथमल हलवाई, रेल्वे स्टेशन के सामने, दौसा

— अभियुक्त—

जुर्म अन्तर्गत धारा 26 एफएसएस एक्ट 2006 व सपठित नियम 2011

उपस्थिति : श्री महेन्द्र कुमार चतुर्वेदी खाद्य सुरक्षा अधिकारी उपस्थित ।
: अप्रार्थी अभियुक्त बहस के दौरान अनुपस्थित ।

—: आदेश :—

दिनांक:— 04.12.2019

संक्षिप्त में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार से है कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी के पद पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी दौसा के कार्यालय में कार्य सम्पादन कर रहा है। राज्य सरकार द्वारा राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना (नोटिफिकेशन) क्रमांक एच/पीएफए/नोटिफिकेशन/2011/440 दिनांक 26.07.11 के अनुसार आवेदक को खाद्य सुरक्षा अधिकारी की शक्तियां प्रयुक्त करने के लिए अधिकृत किया गया है तथा श्रीमान आयुक्त खाद्य सुरक्षा एवं निदेशक (जन.स्वा.) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें राज. जयपुर के आदेश क्रमांक 475 दिनांक 10.08.2011 के द्वारा आवेदक को मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी दौसा के अन्तर्गत आने वाले समस्त स्थानीय क्षेत्र जिला दौसा आवंटित किया गया है।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने दिनांक 24.01.2019 को दोपहर बाद 02:30 बजे मैसर्स:—नाथूलाल चौथमल हलवाई, रेलवे स्टेशन के सामने दौसा स्थित दुकान का निरीक्षण किया। निरीक्षण के समय दुकान पर विक्रेता श्री जगदीश प्रसाद गुप्ता पुत्र श्री चौथमल गुप्ता उपस्थित मिला ने स्वयं को उक्त फर्म का विक्रेता व मालिक होना बताया को अपना परिचय देकर एवं परिचय पत्र दिखाकर उससे खाद्य पदार्थ-लाईसेन्स दिखाने के लिये कहा तो उसने खाद्य पदार्थ लाईसेन्स होना जाहिर किया। निरीक्षण के समय विक्रेता की दुकान पर एक स्टील की ट्रे में करीबन 10 किग्रा कलाकन्द (मावा मिठाई) आम जनता को बेचने हेतु रखा हुआ था में मिलावट का शक होने पर इसमें से नमूने की जांच हेतु 2 किग्रा कलाकन्द (मावा मिठाई) खरीदा। जिसे विक्रेता ने एक साफ सूखे एवं खाली कागज के डिब्बे में तौलकर दिया। जिसकी कीमत 360 रुपये नकद देकर बिल प्राप्त किया।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने नमूने के लिये खरीदशुदा 2 किग्रा कलाकन्द (मावा मिठाई) को चार कांच की साफ सूखी एवं खाली बोतलों में बराबर-बराबर डालकर प्रत्येक बोतल में 40-40 बूंद फॉर्मलीन की डालकर बोतलों को ढक्कन से से बन्द कर चार लेबल तैयार कर लेबलों पर स्वयं ने हस्ताक्षर कर गवाहान व एफ.बी.ओं. के हस्ताक्षर करवाकर लेबलों को बोतलों पर चिपकाकर बोतलों को अलग-अलग एक खाकी कागज में लपेट कर बोतलों पर डी.ओ. व सीएमएचओ दौसा द्वारा जारी की गई हस्ताक्षर शुदा पेपर स्लीप कोड एवं सीरियल नम्बर ए.जी.— 2074 गोंद से चिपकाकर बोतलों




न्याय निर्णय अधिकारी एवं
अति० जिला मजिस्ट्रेट दौसा



को एक मोटे मजबूत सख्त धागे से बांधकर बोतलों को चार-चार जगह से चपड़ी से सील मोहर कर बोतलों पर एफबीओ (विक्रेता) व गवाहन के हस्ताक्षर करवाकर स्वयं ने हस्ताक्षर कर चारों सील बन्द बोतलों को अपने कब्जे में लिया। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने मौके पर फार्म नं. 5 ए की दो प्रतियां तैयार कर उस पर स्वयं ने हस्ताक्षर कर गवाहान के हस्ताक्षर करवाकर उसकी एक प्रति एफ. बी.ओ. विक्रेता को देकर उसकी रसीद फार्म नं. 5 ए पर प्राप्त की। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने मौके पर की गई कार्यवाही की फर्द रिपोर्ट तैयार कर उसे (विक्रेता) एफ.बी.ओ. व गवाहान को पढकर सुनाकर समझाकर उस पर स्वयं ने हस्ताक्षर कर एफ.बी.ओ. व गवाहान के हस्ताक्षर करवाये।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने कार्यालय में आकर फार्म नं. 6 की छः प्रतिया तैयार कर प्रत्येक पर नमूना छाप (सील इम्प्रेसन) लगाकर फार्म नं० 6 की एक प्रति व नमूने की एक सील बंद बोतल एक आउटर कवर में चपड़ी से सील मोहर कर तथा फार्म नं० 6 की दो प्रतियां अलग से एक लिफाफे में सील मोहर कर नमूने की एक सील बंद बोतल व फार्म नं० 6 का सील बंद लिफाफा श्री गोकुल चन्द च.श्र.क. मुख्यालय द्वारा दिनांक 25.01.2019 को खाद्य विश्लेषक एवं मुख्य सार्वजनिक विश्लेषक, राज. जयपुर के यहां जमा करवाये। नमूने की दो सील बन्द बोतल व फार्म नं० 6 की दो प्रतियां एक आउटर कवर में सील मोहर कर स्वयं द्वारा दिनांक 25.01.2019 को डी.ओ. व सी.एम.एच.ओ. दौसा को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की तथा नमूने का चतुर्थ सीलबंद बोतल व फार्म नं० 6 की एक प्रति आउटर कवर में सील मोहर कर स्वयं द्वारा दिनांक 28.01.2019 को डी.ओ. व सी.एम.एच.ओ. को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की।

उक्त खाद्य पदार्थ कलाकन्द (मावा मिठाई) के नमूने की खाद्य विश्लेषक जयपुर की जांच रिपोर्ट संख्या एल.एस./121/एक्ट/2019/119 दिनांक 6.2.2019 डी.ओ. व सीएमएचओ दौसा के जरिये आवेदक को प्राप्त हुई। जांच रिपोर्ट के अनुसार उक्त खाद्य पदार्थ का नमूना अनसेफ पाया गया है। आरएफएल पूर्ण की जांच रिपोर्ट संख्या आरएफएल/डीओ/177/19/354/2019 दिनांक 16.04.2019 के अनुसार सबस्टैण्डर्ड पाया गया है।

न्याय निर्णय आवेदन पत्र प्रस्तुत होने पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर तलबी अप्रार्थी अभियुक्त की गई। अप्रार्थी अभियुक्त द्वारा जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया। खाद्य सुरक्षा अधिकारी की बहस सुनी गई। अप्रार्थी अभियुक्त बहस के दौरान अनुपस्थित रहा।

बहस के दौरान खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने निवेदन किया कि खाद्य विश्लेषक जयपुर की जांच रिपोर्ट सं. एल.एस./121/एक्ट/2019/119 दिनांक 6.2.2019 के अनुसार उक्त खाद्य पदार्थ कलाकन्द (मावा मिठाई) के नमूना अनसेफ होना पाया गया है। उक्त नमूने में स्टार्च का होना पाया गया है। जो कि निगेटिव होना चाहिए था। उक्त जांच रिपोर्ट के नमूने की बी. आर. रीडिंग 61.2 पाई गई है। जो कि निर्धारित मानक(40.0-44.0) से बहुत ही अधिक है। रिचर्ट वैल्यु उक्त नमूने में शुन्य पाई गई है। जो कि कम से कम 24.0 होनी चाहिए थी। आरएफएल पूर्ण की जांच रिपोर्ट के अनुसार भी बी. आर. रीडिंग 60.7 पाई गई है एवं आरएफएल पूर्ण की जांच रिपोर्ट के अनुसार भी उक्त नमूने में स्टार्च का होना पाया गया है। जो कि निगेटिव होना चाहिए था। आरएफएल पूर्ण की जांच रिपोर्ट संख्या आरएफएल/डीओ/177/19/354/2019 दिनांक 16.04.2019 के अनुसार उक्त खाद्य पदार्थ का नमूना सबस्टैण्डर्ड पाया गया है। अप्रार्थी अभियुक्त द्वारा उक्त अनसेफ एवं सबस्टैण्डर्ड खाद्य पदार्थ का विक्रय कर एफएसएसए 2006 की धारा 26 (2) (II) का उल्लंघन किया है। अतः अप्रार्थी अभियुक्त को अधिक से अधिक जुर्माने से दण्डित करने का श्रम करे।

अप्रार्थी अभियुक्त द्वारा प्रस्तुत जवाब प्रार्थना पत्र में निवेदन किया गया कि प्रकरण में कलाकन्द बनाने की प्रक्रिया की वजह से नमूना अमानक स्तर का पाया गया है। अब हमारे द्वारा कलाकन्द का उत्पादन व विक्रय बन्द कर दिया गया है। इससे पूर्व में लिये गये सभी नमूने मानक स्तर के पाये गये है। प्रार्थी द्वारा प्रथम बार हुई गलती के लिये कम से कम जुर्माना लगाने का निवेदन किया गया।



न्याय निर्णय अधिकारी एवं
प्रति० नित्या नजिस्ट्रेट दौसा



प्र० सं० : 20/2019 FSSA

हमने खाद्य सुरक्षा अधिकारी की बहस एवं अप्रार्थी अभियुक्त द्वारा प्रस्तुत जवाब प्रार्थना पत्र एवं पत्रावली का अवलोकन किया। परिवाद में वर्णित तथ्यों एवं इसके साथ संलग्न दस्तावेजात तथा खाद्य विश्लेषक जयपुर की जांच रिपोर्ट संख्या एल.एस./121/एक्ट/2019/119 दिनांक 6.2.2019 के अनुसार उक्त खाद्य पदार्थ कलाकन्द (मावा मिठाई) का नमूना अनसेफ एवं आरएफएल पूणे की जांच रिपोर्ट संख्या आरएफएल/डीओ/177/19/354/2019 दिनांक 16.04.2019 के अनुसार उक्त खाद्य पदार्थ का नमूना सबस्टैण्डर्ड पाया गया है। जो कि एफएसएसए 2006 की धारा 26 (2) (II) का उल्लंघन है एवं इसका जुर्माना एफएसएसए 2006 की धारा 51 में वर्णित है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अप्रार्थी अभियुक्त द्वारा अनसेफ एवं सबस्टैण्डर्ड खाद्य पदार्थ कलाकन्द (मावा मिठाई) का विक्रय किये जाने से खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 (2) (II) का उल्लंघन होने से अपराध कारित होने के फलस्वरूप अप्रार्थी अभियुक्त श्री जगदीश प्रसाद गुप्ता पुत्र श्री चौथमल गुप्ता विक्रेता एवं मालिक मैसर्स:-नाथूलाल चौथमल हलवाई, रेल्वे स्टेशन के सामने, दौसा पर 20000/- (अक्षरे बीस हजार रुपये) की शास्ति आरोपित की जाती है। अप्रार्थी अभियुक्त उक्त राशि निर्णय दिनांक 04.12.2019 के एक माह के अन्दर-अन्दर जमा कराकर चालान की प्रति प्रस्तुत करे।

निर्णय भरे द्वारा लिखवाया जाकर आज दिनांक 04.12.2019 को खुले न्यायालय में सुनाया



कमांक/ 2683-85

प्रतिलिपि:- निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. खाद्य सुरक्षा आयुक्त एवं निदेशालय (जन स्वास्थ्य) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं राज० जयपुर।
2. अभिहित अधिकारी, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी दौसा।
3. श्री जगदीश प्रसाद गुप्ता पुत्र श्री चौथमल गुप्ता विक्रेता एवं मालिक मैसर्स:-नाथूलाल चौथमल हलवाई, रेल्वे स्टेशन के सामने, दौसा।



(लोकाेश कुमार मीना)
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, दौसा
दिनांक:- 6 .12.2019

(लोकाेश कुमार मीना)
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, दौसा
जिला मजिस्ट्रेट दौसा